

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 107-2024/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 16, 2024 (ASADHA 25, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अन्त्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 जुलाई, 2024

संख्या 40/13/2024—1स0क0.— हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 (2016 का 15) की धारा 2 के खण्ड (घ) तथा धारा 5 की उप—धारा (2) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, अधिसूचना संख्या 491—स.क.(1) 2021, दिनांक 17 नवम्बर 2021 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित अनुसार पिछड़े वर्गों से नवोन्नत व्यक्तियों के निष्कासन के लिए निम्नलिखित मानदंड विनिर्दिष्ट करते हैं, अर्थात :—

अनुसूची

क्रम संख्या	प्रवर्ग का वर्णन	जिसे निष्कासन के नियम लागू होंगे
1	2	3
I.	संविधानिक पद	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री—
		(क) भारत के राष्ट्रपति;
		(ख) भारत के उप–राष्ट्रपति;
		(ग) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश;
		(घ) संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के
		अध्यक्ष तथा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का
		नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक;
		(ड़) इसी किस्म के सांविधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्ति;
II.	सेवा के प्रवर्ग	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री—
	अ. अखिल भारतीय, केन्द्रीय तथा	(क) माता–पिता, जो दोनों श्रेणी–I अधिकारी हैं;
	राज्य सेवाओं के ग्रुप क/श्रेणी- I	(ख) माता–पिता, जिनमें से एक श्रेणी– I अधिकारी हैं;
	अधिकारी (सीधे भर्ती)	(ग) माता–पिता, जिनमें दोनों श्रेणी–I अधिकारी हैं किंतु जिनमें से
		एक की मृत्यु हो गई हो अथवा स्थाई अक्षमता से पीड़ित हैं;

क्रम संख्या	प्रवर्ग का वर्णन	जिसे निष्कासन के नियम लागू होंगे
1	2	3
		(घ) माता—पिता, जिनमें से एक श्रेणी—I अधिकारी है और ऐसे माता—पिता की मृत्यु हो गई है अथवा स्थाई अक्षमता से पीड़ित हैं और ऐसी मृत्यु या ऐसी अक्षमता से पूर्व कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में नियोजन का लाभ ले चुके हैं;
		(ड़) माता—पिता जो दोनों श्रेणी—I अधिकारी हैं और ऐसे माता—पिता दोनों की मृत्यु हो गई है अथवा स्थाई अक्षमता से पीड़ित हैं और ऐसी मृत्यु या ऐसी अक्षमता से पूर्व उनमें से कोई एक कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में नियोजन का लाभ ले चुका हैं;
		परन्तु निष्कासन का नियम, निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगाः–
		(क) माता–पिता, जिनमें से एक या दोनों श्रेणी–I अधिकारी हैं और ऐसे माता–पिता में किसी एक या दोनों की मृत्यु हो गई है अथवा स्थाई अक्षमता से पीड़ित हैं, के पुत्र और पुत्री;
		(ख) पिछड़े वर्ग से संबंधित किसी महिला ने किसी श्रेणी—I अधिकारी से विवाह कर लिया है, और स्वयं नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती है।
	आ. केन्द्रीय और राज्य सेवाओं के ग्रुप	निम्नलिखित के पुत्र और पुत्री—
	ख ∕ श्रेणी−ाा अधिकारी	(क) माता—पिता, जो दोनों श्रेणी—II अधिकारी हैं; (ख) माता—पिता, जिनमें से केवल पति श्रेणी—II अधिकारी है और वह 40 वर्ष की आयु में या उससे पूर्व श्रेणी—I अधिकारी बन गया है;
		(ग) माता—पिता, जो दोनों श्रेणी—II अधिकारी हैं जिनमें से एक की मृत्यु हो गई है अथवा स्थाई अक्षमता से पीड़ित है और उनमें से एक ने ऐसी मृत्यु या स्थाई अक्षमता से पूर्व कम से कम पांच वर्ष की अविध के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में नियोजन का लाभ लिया है;
		(घ) माता—पिता, जिनमें से पित श्रेणी—I अधिकारी है (सीधी भर्ती या चालीस वर्ष पूर्व पदोन्नत) और पत्नी श्रेणी—II अधिकारी है और पत्नी की मृत्यु हो गई है या स्थाई अक्षमता से पीड़ित है; और
		(ड़) माता—पिता, जिनमें से पत्नी श्रेणी—I अधिकारी है (सीधी भर्ती या चालीस वर्ष पूर्व पदोन्नत) और पति श्रेणी—II अधिकारी है और पति की मृत्यु हो गई है या स्थाई अक्षमता से पीड़ित हैः
		परन्तु निष्कासन का नियम, निम्नलिखित मामलों मे लागू नहीं
		होगा:– निम्नलिखित के पुत्र और पुत्री:–
		(क) माता—पिता, जो दोनों श्रेणी—II अधिकारी हैं और जिनमें से एक की मृत्यु हो गई है या स्थाई अक्षमता से पीड़ित है;
		(ख) माता—पिता, जो दोनों श्रेणी—II अधिकारी हैं और दोनों की मृत्यु हो गई है; अथवा स्थाई अक्षमता से पीड़ित हैं, यद्यपि जिनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु या स्थाई अक्षमता से पूर्व

क्रम संख्या	प्रवर्ग का वर्णन	जिसे निष्कासन के नियम लागू होंगे
1	2	3
		कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में नियोजन का लाभ लिया है ।
	इ. सार्वजनिक क्षेत्र उपकम इत्यादि में कर्मचारी	इस प्रवर्ग में ऊपर (क) तथा (ख) में वर्णित मानदंड, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष या समतुल्य पदों को धारण करने वाले अधिकारियों को तथा निजी नियोजन के अंतर्गत समकक्ष तथा समतुल्य पदों तथा स्तरों को भी इन संस्थाओं में समकक्ष या समतुल्य आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। इन संस्थाओं में समकक्ष या समतुल्य आधारित पदों का लम्बित मूल्यांकन प्रवर्ग VI में विनिर्दिष्ट मानदंड, इन संस्थाओं के अधिकारियों को लागू होंगे।
III.	अर्ध सैनिक बलों सहित सशस्त्र बल (इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति शामिल नहीं हैं)	उन माता—पिता के पुत्र तथा पुत्री, जिनमें से एक या दोनों सेना में कर्नल के पद या उससे उच्च पद पर अथवा जल सेना और वायु सेना तथा अर्ध—सैनिक बलों में समकक्ष पद पर हैं: परन्तु:—
		(i) यदि सशस्त्र सेना अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र बलों (विचारणाधीन प्रवर्ग) में है, तो निष्कासन का नियम केवल तब लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल के पद पर पहुंच गई हो;
		(ii) पति और पत्नी की कर्नल की पदवी से नीचे की सेवा एक साथ जोड़ी नहीं जाएगी;
		(iii) यदि सशस्त्र बलों में किसी अधिकारी की पदवी सिविल नियोजन में हैं; यह निष्कासन के नियम को लागू करने के लिए तब तक ध्यान में नहीं लाया जाएगा जब तक वह मद
		संख्या—II के अधीन सेवा प्रवर्ग में नहीं आती हो, ऐसे मामलों में, इसमें वर्णित मानदंड तथा शर्ते उसको स्वतंत्र रूप से लागू होंगी।
IV.	वृत्तिक वर्ग और वे जो व्यापार तथा उद्योग में नियोजित हैं	प्रवर्ग VI के सामने विर्निदिष्ट मानदंड लागू होंगे:-
	I. वृत्ति जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेन्ट, आयकर परामर्शी, वित्तीय या प्रबंधन परामर्शी, दंत चिकित्सक, अभियंता, वास्तुकार, कम्पयूटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार, अन्य फिल्म वृत्तिक, लेखक, नाटक रचयिता, खिलाड़ी, खेल वृत्तिक, मीडिया वृत्तिक के रूप में या समरूप प्रास्थिति के व्यवसायों में नियोजित व्यक्ति	
	II. व्यापार, कारोबार तथा उद्योग में नियोजित व्यक्ति	प्रवर्ग VI के सामने विनिर्दिष्ट मानदंड लागू होंगेः व्याख्याः
		(i) जहां पित किसी व्यवसाय में है और पत्नी श्रेणी— II या निम्न ग्रेड नियोजन में है, वहां आय/धन परीक्षण केवल पित की आय के आधार पर लागू होगा;
		(ii) यदि पत्नी किसी व्यवसाय में है और पित श्रेणी— II या निम्न रैंक पद पर नियोजन में है, तो आय/धन मानदंड, केवल पत्नी की आय के आधार पर लागू होंगे और पित की आय इसमें जोड़ी नहीं जाएगी।

क्रम संख्या	प्रवर्ग का वर्णन	जिसे निष्कासन के नियम लागू होंगे
1	2	3
V.	संपत्ति स्वामी अ. कृषि जोत	परिवार (पिता, माता तथा अवयस्क बालक) से सम्बंधित व्यक्ति, जिनके स्वामित्व में निम्नलिखित हैं, के पुत्र और पुत्री:—
		(क) केवल सिंचित भूमि जो वैधानिक क्षेत्र के 85 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है; या
		(ख) निम्नानुसार दोनों सिंचित और असिंचित भूमि:–
		(i) निष्कासन का नियम वहां लागू होगा जहां पूर्व शर्त विद्यमान है कि सिंचित क्षेत्र, (साम्य के अंतर्गत एकल रूप के लिए लाया गया है) सिंचित भूमि (असिंचित भाग को छोडते हुए संगणित की गई है) के लिए वैधानिक अधिकतम सीमा का 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। यदि 40 प्रतिशत से कम की पूर्व शर्त विद्यमान है, तो केवल यह असिंचित भूमि का क्षेत्र हिसाब में लिया जाएगा। यह असिंचित भूमि को सिंचित किस्म में विद्यमान परिवर्तन फार्मूला के आधार पर परिवर्तित करते हुए किया जाएगा। असिंचित भूमि से इस प्रकार संगणित क्षेत्र सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र में जोड़ा जाएगा और इसे एक साथ सम्मिलित करने के बाद सिंचित भूमि की वैधानिक अधिकतम सीमा से अधिक है, तो निष्कासन का नियम लागू होगा और अहकदारी हो जाएगी;
		(ii) निष्कासन का नियम लागू नहीं होगा यदि परिवार की कोई जोत भूमि पूर्ण रूप से असिंचित है।
	आ. पौधारोपण	
	(i) कॉफी, चाय, रबड़ इत्यादि	नीचे दिए गए प्रवर्ग VI में विनिर्दिष्ट आय/धन के मानदंड लागू होंगे।
	(ii) आम, खट्टे फल, सेब, पौधारोपण इत्यादि	कृषि जोत के रूप में समझे गए हैं और इसलिए इस प्रवर्ग के अधीन उपरोक्त अ. के मानदंड लागू होंगे।
	इ. शहरी क्षेत्रों या शहरी समूहों में रिक्त भूमि तथा / या भवन	नीचे दिए गए प्रवर्ग VI में विनिर्दिष्ट मानदंड लागू होंगे।
		भवन, जो आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिकी प्रयोजन और दो या से अधिक ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।
VI	आय / धन परीक्षण	निम्नलिखित के पुत्र और पुत्री:—
		(क) आठ लाख या उससे अधिक की सकल वार्षिक आय रखने वाले अथवा अंतिम तीन निरंतर वर्षों की अवधि के लिए धन—कर अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 27) में यथा विहित छूट सीमा से अधिक धन रखने वाले व्यक्तियों;
		(ख) प्रवर्गों I, II, III तथा V अ. में व्यक्ति, जो आरक्षण के लाभ हेतु अहकदार नहीं हैं किंतु जिनकी धन के अन्य स्त्रोतों से आय है, जो उन्हें उपरोक्त (क) में वर्णित आय/धन मानदंड के भीतर ले आएगी।

मूल्य में बदलाव को ध्यान में रखते हुए संशोधित किए	क्रम संख्या	प्रवर्ग का वर्णन	जिसे निष्कासन के नियम लागू होंगे
(i) वेतन या कृषि भूमि आय को जोड़ा नहीं जाएगा। (ii) रूपए के अनुसार आय मानदंड इसके प्रत्येक तीन वर्ष के मूल्य में बदलाव को ध्यान में रखते हुए संशोधित किए जाएगें। यदि परिस्थिति, तथापि ऐसी मांग करती है, तो मध्याविध कम हो सकती है। व्याख्याः इस अनुसूची में जहां "स्थाई अक्षमता" अभिव्यक्ति आती है, तो	1	2	3
(ii) रूपए के अनुसार आय मानदंड इसके प्रत्येक तीन वर्ष के मूल्य में बदलाव को ध्यान में रखते हुए संशोधित किए जाएगें। यदि परिस्थिति, तथापि ऐसी मांग करती है, तो मध्याविध कम हो सकती है। व्याख्याः इस अनुसूची में जहां "स्थाई अक्षमता" अभिव्यक्ति आती है, तो			व्याख्याः
मूल्य में बदलाव को ध्यान में रखते हुए संशोधित किए जाएगें। यदि परिस्थिति, तथापि ऐसी मांग करती है, तो मध्यावधि कम हो सकती है। व्याख्याः इस अनुसूची में जहां "स्थाई अक्षमता" अभिव्यक्ति आती है, तो			(i) वेतन या कृषि भूमि आय को जोड़ा नहीं जाएगा।
किसी अधिकारी को सेवा से बाहर करने		अक्षमता'' अभिव्यक्ति आती है, तो इसका अर्थ होगा कि ऐसी अक्षमता जो	(ii) रूपए के अनुसार आय मानदंड इसके प्रत्येक तीन वर्ष के मूल्य में बदलाव को ध्यान में रखते हुए संशोधित किए जाएगें। यदि परिस्थिति, तथापि ऐसी मांग करती है, तो मध्याविध कम हो सकती है।

जी. अनुपमा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अन्त्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

SOCIAL JUSTICE, EMPOWERMENT, WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES AND ANTYODAYA (SEWA) DEPARTMENT

Notification

The 16th July, 2024

No. 40/13/2024-1SW.— In exercise of the powers conferred under clause (d) of section 2 and sub-section (2) of section 5 of the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Act, 2016 (15 of 2016), and in supersession of the Haryana Government, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department, notification No. 491-SW(1)-2021 dated the 17th November, 2021, the Governor of Haryana hereby specifies the following criteria for exclusion of persons within the Backward Classes as Creamy Layer as specified in schedule given below:-

Schedule

	DESCRIPTION OF CATEGORY	TO WHOM RULE OF EXCLUSION SHALL APPLY
1	2	3
I.	CONSTITUTIONAL POSTS	 Son(s) and daughter(s) of (a) President of India; (b) Vice President of India; (c) Judges of the Supreme Court and of the High Court's; (d) Chairman and Members of UPSC and of the State Public Service Commission; Chief Election Commissioner; Comptroller and Auditor General of India; (e) Persons holding Constitutional positions of like nature.
II.	SERVICE CATEGORY A. Group A/Class I officers of the All India Central and State Services (Direct Recruits).	 Son(s) and daughter(s) of (a) parents, both of whom are Class I officers; (b) Parents, either of whom is a Class-I officer; (c) Parents, both of whom are Class-I officers, but one of them dies or suffers permanent incapacitation; (d) Parents, either of whom is a Class-I officer and such parent dies or suffers permanent incapacitation and before such death or such incapacitation has had the benefit of employment in any International Organization like U.N, I.M.F, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years; (e) Parents, both of whom are class I officers die or suffer permanent incapacitation and before such death or such incapacitation of the both, either of them has had the benefit of employment in any International Organization like U.N, I.M.F, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years; Provided that the rule of exclusion shall not apply in the following cases:- (a) Sons and daughters of parents either of whom or both of whom are Class-I officers and such parent(s) dies/die or suffer permanent incapacitation. (b) A lady belonging to BC category has got married to a Class-I officer, and may herself like to apply for a job.

	DESCRIPTION OF CATEGORY	TO WHOM RULE OF EXCLUSION SHALL APPLY
1	2	3
	B. Group B/Class II officers of the Central and State Services (Direct Recruitment)	Son(s) and daughter(s) of (a) Parents both of whom are Class II officers;
	(Direct Rectalitient)	(b) Parents of whom only the husband is a Class II officer and he gets into Class I at the age of 40 or earlier;
		(c) Parents, both of whom are Class II officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation and either one of them has had the benefit of employment in any International Organization like U.N, I.M.F, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before such death or permanent incapacitation;
		(d) Parents of whom the husband is a Class I officer (Direct Recruit or pre-forty promoted) and the wife is a Class II officer and the wife dies; or suffers permanent incapacitation; and
		(e) Parents, of whom the wife is a Class I officer (Direct Recruit or pre-forty promoted) and the husband is a Class II officer and the husband dies or suffers permanent incapacitation;
		Provided that the rule of exclusion shall not apply in the following cases:-
		Son(s) and daughter(s) of
		(a) Parents both of whom are Class II officers and one of them dies or suffer permanent incapacitation.
		(b) Parents, both of whom are Class II officers and both of them die or suffer permanent incapacitation, even though either of them has had the benefit of employment in any International Organization like U.N, I.M.F, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before their death or permanent incapacitation.
	C. Employees in Public Sector Undertakings etc.	The criteria enumerated in A and B above in this Category shall apply mutatis mutandi to officers holding equivalent or comparable posts in PSUs, Banks, Insurance Organizations, Universities, etc. and also to equivalent or comparable posts and positions under private employment pending the evaluation of the posts on equivalent or comparable basis in these institutions, the criteria specified in Category VI below shall apply to the officers in these institutions.
III.	ARMED FORCES INCLUDING	Son(s) and daughter(s) of
	PARA MILITARY FORCES: (Persons holding civil posts are not included)	Parents either or both of whom is or are in the rank of Colonel and above in the Army and to equivalent posts in the Navy and the Air Force and the Para Military Forces:
		Provided that:-
		(i) if the wife of an Armed Forces Officer is herself in the Armed Forces (i.e., the category under consideration) the rule of exclusion will apply only when she herself has reached the rank of Colonel;
		(ii) the service ranks below Colonel of husband and wife shall not be clubbed together;
		(iii) If the wife of an officer in the Armed Forces is in civil employment, this shall not be taken into account for applying the rule of exclusion unless she falls in the service category under item No. II in which case the criteria and conditions enumerated therein will apply to her independently.

	DESCRIPTION OF CATEGORY	TO WHOM RULE OF EXCLUSION SHALL APPLY
1	2	3
IV.	PROFESSIONAL CLASS AND THOSE ENGAGED IN TRADE AND INDUSTRY	Criteria specified against category VI shall apply.
	(I) Persons engaged in profession as a Doctor, Lawyer, Chartered Accountant, Income Tax Consultants, Financial or Management Consultants, Dental Surgeon, Engineer, Architects, Computer Specialists, Film Artists and other Film Professionals, Author, Play Writer, Sports person, Sports Professionals, Media Professionals or any other vocations of like status.	
	(II) Persons engaged in trade, business and industry.	
		Criteria specified against category VI shall apply.
		Explanation: (i) Where the husband is in some profession and the wife is in a
		Class II or lower grade employment, the income/wealth test shall apply only on the basis of the husband's income.
		(ii) If the wife is in any profession and the husband is in employment in a Class II or lower rank post, then the income/wealth criterion shall apply only on the basis of the wife's income and the husband's income shall not be clubbed with it.
V.	PROPERTY OWNERS A. Agricultural holdings	Son(s) and daughter(s) of persons belonging to a family (father, mother and minor children) which owns:-
		(a) only irrigated land which is equal to or more than 85% of the statutory area; or
		(b) both irrigated and unirrigated land, as follows:-
		 (i) The rule of exclusion shall apply where the pre-condition exist that the irrigated area (having been brought to a single type under a common denominator) 40% or more of the statutory ceiling limit for irrigated land (this being calculated by excluding the unirrigated portion). If this pre-condition of not less than 40% exists, then only the area of unirrigated land will be taken into account. This shall be done by converting the unirrigated land on the basis of conversion formula existing, into the irrigated type. The irrigated area so computed from unirrigated land shall be added to the actual area of irrigated land and if after such clubbing together the total area in terms of irrigated land is 80% or more of the statutory ceiling limit for irrigated land, then the rule of exclusion shall apply and disentitlement will occur; (ii) The rule of exclusion shall not apply if the land holding of
		a family is exclusively unirrigated.

	DESCRIPTION OF CATEGORY	TO WHOM RULE OF EXCLUSION SHALL APPLY
1	2	3
	B. Plantations (i) Coffee, tea, rubber, etc.	Criteria of income/wealth specified in Category VI below shall apply.
	(ii) Mango, citrus, apple plantations etc.	Deemed as agricultural holding and hence criteria at A above under this category shall apply.
	C. Vacant land and/or buildings in urban areas or urban	Criteria specified in Category VI below will apply.
	agglomorations	Explanation: Building may be used for residential, industrial or commercial purpose and the like two or more such purposes.
VI.	INCOME / WEALTH TEST	Son(s) and daughter(s) of (a) Persons having gross annual income of Rs.8 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act, 1957 (Central Act 27 of 1957) for a period of three consecutive years;
		(b) Persons in categories I, II, III and V A who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources of wealth which shall bring them within the income/wealth criteria mentioned in (a) above.
		Explanation:
		(i) Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed.
		(ii) The income criteria in terms of rupee shall be modified taking into account the change in its value every three years. If the situation, however, so demands, the interregnum may be less.
	Explanation: Wherever the expression "permanent incapacitation" occurs in this Schedule, it shall mean incapacitation which results in putting an officer out of service.	

G. ANUPAMA,

Additional Chief Secretary to Government Haryana, Social Justice, Empowerment, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes and Antyodaya (SEWA) Department.